भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारत में भुगतान प्रणालियां

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई - 400 001

हमसे संपर्क करें
http://www.rbi.org.in/scripts/paymentsystems.aspx
Email: helpdpss@rbi.org.in

चेक

विभिन्न बैंकों द्वारा भारत में प्रतिदिन लगभग 50 लाख चेक समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

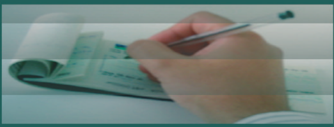

क्या आप जानते हैं...

- सभी बैंक अपने ग्राहकों द्वारा संग्रह के लिए जमा किए गए बाहरी चेकों को स्वीकार करते हैं।
- राज्यों की राजधानियों / प्रमुख शहरों / अन्य स्थानों पर आहरित बाहरी चेकों के संग्रह की समय सीमा क्रमशः 7/10/14 दिन है।
- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रभारों से अधिक संग्रह प्रभार नहीं ले सकते जो ₹ 1 लाख तक के चेक के लिए ₹ 25 और ₹ 100 (सेवाकर को छोडकर) के बीच है। ₹ 1 लाख से आधिक के लिए बैंक अपने प्रभार स्वयं निर्धारित करते हैं।
- बैंकों द्वारा कोई भी अतिरिक्त प्रभार जैसे कूरियर, आउट ऑफ़ पॉकेट खर्च आदि नहीं लगाए जा सकते।
- यदि संग्रह में निर्धारित अवधि से अधिक की देरी होती है तो बैंक को उल्लिखित दर से व्याज का भुगतान करना पड़ेगा।
- इसके अलावा बाहरी चेक द्रुत समाशोधन (स्पीड क्लियरिंग)के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते चेक सीबीएस सक्षम बैंक/शाखा पर आहरित हो। अन्य स्थानीय चेक की तरह ही बाहरी चेक भी प्रस्तुति के तीसरे दिन आपके खाते में जमा हो जाएगा।
- द्रुत समाशोधन के तहत समाशोधित ₹ 1 लाख तक के चेक के लिए बचत बैंक ग्राहकों से कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जाता है ।

चेकों के समाशोधन में कई दिन लग जाते हैं।
इतना लंबा इंतजार क्यों ... इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चुनें।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) बारंबार और आवधिक प्रकृति वाले थोक लेनदेनों के भुगतान / प्राप्ति का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। एक बार ग्राहक इस सुविधा के लिए अधिदेश (प्राधिकरण) देकर सब्सक्राइब करता है, तो नियत तारीख को धन उसके बैंक खाते से/में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित हो जाता है।

न नकद

न चेक

न कतार

आपको क्या करना होगा ...

- नियमित उपयोगिता बिलों जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, स्कूल/कॉलेज शुल्क आदि के भुगतान के लिए ईसीएस डेबिट सुविधा हेतु अपने बैंक / सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण कराएं।
- वेतन, पेंशन, लाभांश, ब्याज और अन्य नियमित आय प्राप्त करने के लिए अपने नियोक्ता या कंपनी के पास ईसीएस क्रेडिट सुविधा के लिए सब्सक्राइब करें।
- धन देय होने पर आपका बैंक आपके खाते को सीधे नामे करते हुए भुगतान कर देगा और इसी तरह धन प्राप्त होने पर आपके खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा।

समय और ऊर्जा बचाएं

- उपयोगिता बिलों, ईएमआई, स्कूल शुल्क आदि के भुगतान के लिए ईसीएस डेबिट का उपयोग करें।
- वेतन, लाभांश, ब्याज आदि के भुगतान के लिए ईसीएस क्रेडिट का उपयोग करें।

एनईएफटी और आरटीजीएस

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी) आपकी बैंक शाखा में अधिदेश देकर या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है।

क्या आप जानते हैं...

- बैंक खाते को नामे करके या नकद द्वारा भी (₹ 50,000 तक) भुगतान किया जा सकता है।
- निधि प्रेषण के लिए लाभार्थी बैंक शाखा के 11 अंकों के आईएफएससी कोड (चेक और पास बुक पर उपलब्ध) के साथ लाभार्थी खाते के विवरण की आवश्यकता होगी।
- सप्ताह के दिनों में 9:00 बजे से 19:00 बजे के बीच प्रति घंटे दिन में ग्यारह बार और शनिवार को 13:00 बजे तक पाँच बार निपटान होते हैं।
- अंतिम दो निपटानों को छोड़कर जो अधिकतम अगले कार्यदिवस में जमा होते हैं, लाभार्थी के खाते में दो घंटे के भीतर धनराशि जमा हो जाती है।
- लाभार्थी के खाते में धन जमा की पुष्टि प्रेषक को मिलती है।

एनईएफटी प्रभार

₹ 1 लाख तक	₹ 5/-
₹ 1 लाख से अधिक- ₹ 2 लाख तक	₹ 15/-
₹ 2 लाख से अधिक	₹ 25/-

प्रभार प्रति लेनदेन (सेवा कर छोड़कर)

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली ₹ 2 लाख से अधिक के लेनदेन के लिए तत्काल धन अंतरण हेतु उपलब्ध है।

- अपनी बैंक शाखा में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के स्तर पर निपटान हेतु आरटीजीएस सेवा ग्राहकों के लेनदेन के लिए सप्ताह के दिनों में 9:00 बजे से 16:30 बजे तक और शनिवार को 9:00 बजे से 13:30 बजे तक उपलब्ध रहती है।

आरटीजीएस प्रभार

₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख तक	₹ 30/- से अधिक नहीं
₹ 5 लाख से अधिक	₹ 55/- से अधिक नहीं

प्रभार प्रति लेनदेन (सेवा कर छोड़कर)

आवक अरटीजीएस/एनईएफटी/ईसीएस/एनईसीएस लेनदेनों पर कोई सेवा प्रभार नहीं हैं।

व्यक्ति से व्यक्ति को धन अंतरण

पक्का पहचान पत्र या पता न होने के कारण देशी प्रवासियों और अन्य लोगों की पहुंच औपचारिक बैंकिंग माध्यमों तक नहीं होती है, अपने परिवार/रिश्तेदारों को निधि अंतरण में कठिनाई होती है। इस प्रवासी कार्य बल की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- कोई बैंक खाता धारक किसी गैर-खाता धारक को ₹ 10,000 प्रति लेनदेन और अधिकतम ₹ 25,000 प्रति माह निधि अंतरित कर सकता है।
- कोई गैर-खाता धारक (जिसे वाक-इन या अकस्मात ग्राहक भी कहा जाता है) किसी खाता धारक को एनईएफटी प्रणाली का उपयोग करते हुए अपनी नज़दीकी बैंक शाखा के माध्यम से ₹ 50,000 तक नकद निधि अंतरण कर सकता है।
- कोई गैर-खाता धारक किसी खाता धारक को ₹ 5,000 प्रति लेनदेन और महीने में अधिकतम ₹ 25,000 का निधि अंतरण व्यवसाय प्रतिनिधि (बिज़नेस कॉरेस्पांडेन्ट) या एटीएम का उपयोग करते हुए कर सकता है।
- किसी डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड से भी अन्य कार्ड या बैंक खाते में ₹ 5,000 प्रति लेनदेन और महीने में अधिकतम ₹ 25,000 का निधि अंतरण किया जा सकता है।

भारत नेपाल धन प्रेषण

रिज़र्व बैंक ने मई 2008 में भारत-नेपाल धन प्रेषण योजना भी लागू की है ताकि नेपाली मूल के प्रवासी नेपाल में रहने वाले अपने परिवारों को भारत से धन प्रेषित कर सकें। यह योजना एनईएफटी प्रणाली पर चलती है जिस के अंतर्गत भारत से नेपाल एसबीआई लि. (एनएसबीएल) को धन भेजा जाता है जो आगे नेपाल में लाभार्थियों तक धन प्रेषण करता है। प्रत्येक धन प्रेषक की अधिकतम राशि ₹ 50,000 रखते हुए कोई व्यक्ति एक साल में 12 बार प्रेषण कर सकता है।

भुगतान के अन्य साधन

कार्ड

क्रेडिट कार्ड भारत में बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड आपको सामान एवं सेवाओं की उधार खरीदारी के लिए सक्षम बनाते है। देय तिथि को भुगतान करना याद रखें क्योंकि देर से भुगतान करने पर प्रभार बहुत अधिक हैं।

डेबिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं जो बचत/चालू खाते से सीधे जुडे होते हैं, ये आपको एटीएम/पीओएस से नकद आहरण या सामान और सेवाओं के भुगतान की सुविधा देते हैं।

प्रीपेड कार्ड बैंको / गैर बैंकों (भारिबैं द्वारा प्राधिकृत) द्वारा जारी किए जाते हैं जो उन पर संचित मूल्य के आधार पर सामान और सेवाओं को खरीदने की सुविधा देते हैं। इन कार्डों को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अपेक्षाओं के आधार पर अधिकतम ₹ 50,000 मूल्य तक पेपर कूपन, प्लास्टिक कार्ड, मोबाइल वॉलेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में लिया जा सकता है। बैंकों द्वारा जारी केवल ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों पर ही नकद आहरण की अनुमति है।

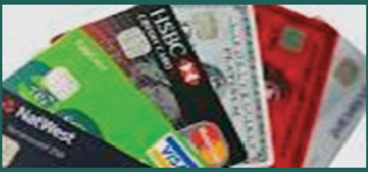

मोबाइल बैंकिंग

अनेक बैंकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रदान की जा रही हैं जिनसे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने बैंक खाते की शेष राशि की जानकारी और बैंक खातों के बीच धन अंतरण कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।

हमेशा याद रखें...

- कार्ड सुरक्षित स्थान पर रखें और समय-समय पर पिन बदलते रहें,
- अपने कार्ड को पानी, आग, स्क्रैच और चुंबकों से सुरक्षित रखें,
- कार्ड खोने की सूचना तुरंत दें,
- लेनदेन एलर्ट प्राप्त करने के लिए अपने मोबाईल नंबर/ईमेल-आईडी को बैंक में पंजीकृत कराएं।

एटीएम / पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल

- 24 x 7 नकद रहित (मोबाइल, इंटरनेट, कार्ड) भुगतान माध्यम का उपयोग करें।
- नकद आहरण के लिए एटीएम का उपयोग करें।
- सामान और सेवाओं के भुगतान के लिए पीओएस टर्मिनलों पर कार्ड का उपयोग करें।

क्या आप जानते हैं...

- बचत बैंक ग्राहक किसी भी बैंक द्वारा जारी एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग किसी अन्य बैंक के एटीएम पर खाता राशि की जानकारी लेने/प्रति लेनदेन ₹ 10.000 की सीमा तक नकद आहरण करने के लिए, प्रति माह 5 लेनदेन मुफ्त कर सकते हैं।
- प्रति माह पाँच से अधिक लेनदेनों के लिए, बैंक किसी अन्य बैंक के एटीएम के उपयोग के लिए लेनदेन शुल्क लगा सकता है।

- यदि एटीएम मशीन द्वारा नकदी आहरित नहीं होती है और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, तो डरें नहीं। तुरंत अपने बैंक (जारीकर्ता बैंक) में शिकायत करें। अपने रिकॉर्ड के लिए लेनदेन पर्ची की प्रति संभालकर रखें।
- यदि आपने विफल एटीएम लेनदेन की शिकायत 30 दिनों के भीतर की है, तो आपका बैंक आपकी शिकायत प्राप्ति की तारीख से 7 कार्यदिवसों के भीतर अनुचित रूप से काटी गई राशि को पुनः जमा कर देगा, अन्यथा जमा करने में देरी के लिए आपको प्रतिदिन ₹ 100 के मुआवज़े का भुगतान करेगा।

कुछ बैंक अपने एटीएम से धन अंतरण और बिल भुगतान की सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग

आप सामान और सेवाओं की खरीद का भुगतान करने, क्रेडिट कार्ड बकाया चुकाने, ऑन-लाइन बैंकिंग या क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके धन अंतरण करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।

आपके लिए कुछ तथ्य

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में भुगताल प्रणाली संचालित करने की इच्छुक सभी संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

भुगतान प्रणाली में चेक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मोबाइल या कार्डों (क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड) द्वारा किए गए भुगतान शामिल हैं।

हमारा मिशन

''यह सुनिश्चित करना कि देश में संचालित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियां सुरक्षित, प्रतिरक्षित, समर्थ, सक्षम, सुलभ और प्राधिकृत हैं।''

हाल ही में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कुछ कदम :

- लगभग तत्काल/तत्काल धन अंतरण के लिए एनईएफटी/अरटीजीएस एवं थोक और आवर्ती भुगतान/प्राप्तियों जैसे वेतन, कारपोरेट लाभांश, उपयोगिता बिल, ईएमआई, इत्यादि के लिए ईसीएस जैसे कम लागत वाले इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण उत्पादों की शुरूआत।
- सामान्य समाशोधन में 7-14 दिन के स्थान पर बाहरी चेकों की 2-3 दिनों में त्वरित वसूली के लिए द्रुत (स्पीड) समाशोधन की शुरूआत।
- किसी भी मूल्य के लिए और किसी भी भुगतान चैनल पर, सभी कार्ड लेनदेनों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण व ऑनलाइन एलर्ट के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेनों को सुरक्षित करना।
- शर्तों के अधीन, बैंक खाते में नकद जमा करने (पे-इन) की सुविधा और लाभार्थी को एटीएम/बी.सी. आउटलेट पर नकद भुगतान (पे-आउट) करने की सुविधा के साथ बैंक खाते से धन अंतरण की सुविधा।
- देशी धन अंतरण के लिए शर्तों में छूट।

त्वरित, सुरक्षित और अधिक कुशल धन अंतरण हेतु भुगतान करने / प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को चुनें।

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
द्वारा प्रकशित
फ़रवरी 2012